



### प्रारूप संख्या एसटीके-6

#### सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/483

दिनांक: -03/07/2024

#### संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (12) कम्पनियों का नाम **तमिलनाडु (आरओसी-चेन्नई)** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hidni Name
1	AA8595409	U42201TN2023PTC162310	थेजसवी एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
2	AA8059525	U74999TN2022OPC151993	सिटाडेल इंडस्ट्रीज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
3	AA8270657	U72900TN2021PTC147793	ब्राइटटाइम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
4	AA8403991	U15300TN2021PTC147936	फ्रेशरा फाइन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AA8867910	U72900TN2021PTC144816	ऑब्स्ट्रेपेरस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7953012	U74999TN2021PTC143304	एल्गो-एआई टेकप्रो प्राइवेट लिमिटेड
7	AA8794559	U15134TN2020PTC135522	जयकृष्णा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
8	AA8828324	U45209TN2018PTC122539	ड्रॉफ्टिंग टेबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	AA8747441	U74999TN2017PTC119271	हेमसेन कौशल प्राइवेट लिमिटेड
10	AA8420905	U74999TN2017PTC114877	पीकेआर इलेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
11	AA8528613	U01403TN2010PTC078483	श्री साई एगो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AA8452931	U74900TN2008PTC067203	येलेलो सोशल इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्टार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्टार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है ।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्टार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टार से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्टार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

हरिहर साहू  
रजिस्टार  
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

**CBC 07123/11/0246/2425**